

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
APR-21	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
MAY-21	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
JUNE-21	4200	35400	6018	1340	0	42758	0	4141	87	
JULY-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
AUG-21	4200	36500	10220	1340	0	48060	0	4672	87	
SEPT-21	4200	36500	10220	1340	0	48060	0	4672	87	
OCT-21	4200	36500	10220	1340	0	48060	0	4672	87	
NOV-21	4200	36500	10220	1340	0	48060	0	4672	87	
DEC-21	4200	36500	11315	1340	0	49155	0	4781	87	
JAN-22	4200	36500	11315	1340	0	49155	0	4781	87	
FEB-22	4200	36500	11315	1340	0	49155	0	4781	87	
योग	--	433600	105102	16080	0	554782	0	53865	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4015	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						5475	5400			
अन्य आय										
महायोग		433600	105102	16080	0	571180	10500	53865	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
APR-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
MAY-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
JUNE-21	4200	36500	6205	1340	0	44045	0	4270	87	
JULY-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
AUG-21	4200	37600	10528	1340	0	49468	0	4812	87	
SEPT-21	4200	37600	10528	1340	0	49468	0	4812	87	
OCT-21	4200	37600	10528	1340	0	49468	0	4812	87	
NOV-21	4200	37600	10528	1340	0	49468	0	4812	87	
DEC-21	4200	37600	11656	1340	0	50596	0	4925	87	
JAN-22	4200	37600	11656	1340	0	50596	0	4925	87	
FEB-22	4200	37600	11656	1340	0	50596	0	4925	87	
योग	--	446800	108292	16080	0	571172	0	55502	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4136	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						5640	5600			
अन्य आय										
महायोग		446800	108292	16080	0	587856	10700	55502	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
APR-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
MAY-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
JUNE-21	4200	37600	6392	1340	0	45332	0	4399	87	
JULY-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
AUG-21	4200	38700	10836	1340	0	50876	0	4953	87	
SEPT-21	4200	38700	10836	1340	0	50876	0	4953	87	
OCT-21	4200	38700	10836	1340	0	50876	0	4953	87	
NOV-21	4200	38700	10836	1340	0	50876	0	4953	87	
DEC-21	4200	38700	11997	1340	0	52037	0	5069	87	
JAN-22	4200	38700	11997	1340	0	52037	0	5069	87	
FEB-22	4200	38700	11997	1340	0	52037	0	5069	87	
योग	--	460000	111482	16080	0	587562	0	57142	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4257	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						5805	5800			
अन्य आय										
महायोग		460000	111482	16080	0	604532	10900	57142	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
APR-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
MAY-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
JUNE-21	4200	38700	6579	1340	0	46619	0	4527	87	
JULY-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
AUG-21	4200	39900	11172	1340	0	52412	0	5107	87	
SEPT-21	4200	39900	11172	1340	0	52412	0	5107	87	
OCT-21	4200	39900	11172	1340	0	52412	0	5107	87	
NOV-21	4200	39900	11172	1340	0	52412	0	5107	87	
DEC-21	4200	39900	12369	1340	0	53609	0	5226	87	
JAN-22	4200	39900	12369	1340	0	53609	0	5226	87	
FEB-22	4200	39900	12369	1340	0	53609	0	5226	87	
योग	--	474000	114894	16080	0	604974	0	58882	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4389	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						5985	5900			
अन्य आय										
महायोग		474000	114894	16080	0	622256	11000	58882	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
APR-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
MAY-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
JUNE-21	4200	39900	6783	1340	0	48023	0	4668	87	
JULY-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
AUG-21	4200	41100	11508	1340	0	53948	0	5260	87	
SEPT-21	4200	41100	11508	1340	0	53948	0	5260	87	
OCT-21	4200	41100	11508	1340	0	53948	0	5260	87	
NOV-21	4200	41100	11508	1340	0	53948	0	5260	87	
DEC-21	4200	41100	12741	1340	0	55181	0	5384	87	
JAN-22	4200	41100	12741	1340	0	55181	0	5384	87	
FEB-22	4200	41100	12741	1340	0	55181	0	5384	87	
योग	--	488400	118374	16080	0	622854	0	60672	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4521	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						6165	6100			
अन्य आय										
महायोग		488400	118374	16080	0	640448	11200	60672	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
APR-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
MAY-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
JUNE-21	4200	41100	6987	1340	0	49427	0	4808	87	
JULY-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
AUG-21	4200	42300	11844	1340	0	55484	0	5414	87	
SEPT-21	4200	42300	11844	1340	0	55484	0	5414	87	
OCT-21	4200	42300	11844	1340	0	55484	0	5414	87	
NOV-21	4200	42300	11844	1340	0	55484	0	5414	87	
DEC-21	4200	42300	13113	1340	0	56753	0	5541	87	
JAN-22	4200	42300	13113	1340	0	56753	0	5541	87	
FEB-22	4200	42300	13113	1340	0	56753	0	5541	87	
योग	--	502800	121854	16080	0	640734	0	62460	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4653	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						6345	6300			
अन्य आय										
महायोग		502800	121854	16080	0	658640	11400	62460	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
APR-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
MAY-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
JUNE-21	4200	42300	7191	1340	0	50831	0	4949	87	
JULY-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
AUG-21	4200	43600	12208	1340	0	57148	0	5580	87	
SEPT-21	4200	43600	12208	1340	0	57148	0	5580	87	
OCT-21	4200	43600	12208	1340	0	57148	0	5580	87	
NOV-21	4200	43600	12208	1340	0	57148	0	5580	87	
DEC-21	4200	43600	13516	1340	0	58456	0	5711	87	
JAN-22	4200	43600	13516	1340	0	58456	0	5711	87	
FEB-22	4200	43600	13516	1340	0	58456	0	5711	87	
योग	--	518000	125556	16080	0	659636	0	64350	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4796	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						6540	6500			
अन्य आय										
महायोग		518000	125556	16080	0	677880	11600	64350	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
APR-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
MAY-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
JUNE-21	4200	43600	7412	1340	0	52352	0	5101	87	
JULY-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
AUG-21	4200	44900	12572	1340	0	58812	0	5747	87	
SEPT-21	4200	44900	12572	1340	0	58812	0	5747	87	
OCT-21	4200	44900	12572	1340	0	58812	0	5747	87	
NOV-21	4200	44900	12572	1340	0	58812	0	5747	87	
DEC-21	4200	44900	13919	1340	0	60159	0	5881	87	
JAN-22	4200	44900	13919	1340	0	60159	0	5881	87	
FEB-22	4200	44900	13919	1340	0	60159	0	5881	87	
योग	--	533600	129326	16080	0	679006	0	66288	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						4939	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						6735	6700			
अन्य आय										
महायोग		533600	129326	16080	0	697588	11800	66288	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
APR-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
MAY-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
JUNE-21	4200	44900	7633	1340	0	53873	0	5253	87	
JULY-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
AUG-21	4200	46200	12936	1340	0	60476	0	5913	87	
SEPT-21	4200	46200	12936	1340	0	60476	0	5913	87	
OCT-21	4200	46200	12936	1340	0	60476	0	5913	87	
NOV-21	4200	46200	12936	1340	0	60476	0	5913	87	
DEC-21	4200	46200	14322	1340	0	61862	0	6052	87	
JAN-22	4200	46200	14322	1340	0	61862	0	6052	87	
FEB-22	4200	46200	14322	1340	0	61862	0	6052	87	
योग	--	549200	133096	16080	0	698376	0	68225	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5082	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						6930	6900			
अन्य आय										
महायोग		549200	133096	16080	0	717296	12000	68225	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
APR-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
MAY-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
JUNE-21	4200	46200	7854	1340	0	55394	0	5405	87	
JULY-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
AUG-21	4200	47600	13328	1340	0	62268	0	6092	87	
SEPT-21	4200	47600	13328	1340	0	62268	0	6092	87	
OCT-21	4200	47600	13328	1340	0	62268	0	6092	87	
NOV-21	4200	47600	13328	1340	0	62268	0	6092	87	
DEC-21	4200	47600	14756	1340	0	63696	0	6235	87	
JAN-22	4200	47600	14756	1340	0	63696	0	6235	87	
FEB-22	4200	47600	14756	1340	0	63696	0	6235	87	
योग	--	565600	137088	16080	0	718768	0	70262	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5236	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7140	7100			
अन्य आय										
महायोग		565600	137088	16080	0	738052	12200	70262	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
APR-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
MAY-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
JUNE-21	4200	47600	8092	1340	0	57032	0	5569	87	
JULY-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
AUG-21	4200	49000	13720	1340	0	64060	0	6272	87	
SEPT-21	4200	49000	13720	1340	0	64060	0	6272	87	
OCT-21	4200	49000	13720	1340	0	64060	0	6272	87	
NOV-21	4200	49000	13720	1340	0	64060	0	6272	87	
DEC-21	4200	49000	15190	1340	0	65530	0	6419	87	
JAN-22	4200	49000	15190	1340	0	65530	0	6419	87	
FEB-22	4200	49000	15190	1340	0	65530	0	6419	87	
योग	--	582400	141148	16080	0	739628	0	72354	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5390	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7350	7300			
अन्य आय										
महायोग		582400	141148	16080	0	759276	12400	72354	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
APR-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
MAY-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
JUNE-21	4200	49000	8330	1340	0	58670	0	5733	87	
JULY-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
AUG-21	4200	50500	14140	1340	0	65980	0	6464	87	
SEPT-21	4200	50500	14140	1340	0	65980	0	6464	87	
OCT-21	4200	50500	14140	1340	0	65980	0	6464	87	
NOV-21	4200	50500	14140	1340	0	65980	0	6464	87	
DEC-21	4200	50500	15655	1340	0	67495	0	6615	87	
JAN-22	4200	50500	15655	1340	0	67495	0	6615	87	
FEB-22	4200	50500	15655	1340	0	67495	0	6615	87	
योग	--	600000	145430	16080	0	761510	0	74541	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5555	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7575	7500			
अन्य आय										
महायोग		600000	145430	16080	0	781548	12600	74541	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
APR-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
MAY-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
JUNE-21	4200	50500	8585	1340	0	60425	0	5908	87	
JULY-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
AUG-21	4200	52000	14560	1340	0	67900	0	6656	87	
SEPT-21	4200	52000	14560	1340	0	67900	0	6656	87	
OCT-21	4200	52000	14560	1340	0	67900	0	6656	87	
NOV-21	4200	52000	14560	1340	0	67900	0	6656	87	
DEC-21	4200	52000	16120	1340	0	69460	0	6812	87	
JAN-22	4200	52000	16120	1340	0	69460	0	6812	87	
FEB-22	4200	52000	16120	1340	0	69460	0	6812	87	
योग	--	618000	149780	16080	0	783860	0	76776	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5720	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7800	7800			
अन्य आय										
महायोग		618000	149780	16080	0	804288	12900	76776	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
APR-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
MAY-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
JUNE-21	4200	52000	8840	1340	0	62180	0	6084	87	
JULY-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
AUG-21	4200	53600	15008	1340	0	69948	0	6860	87	
SEPT-21	4200	53600	15008	1340	0	69948	0	6860	87	
OCT-21	4200	53600	15008	1340	0	69948	0	6860	87	
NOV-21	4200	53600	15008	1340	0	69948	0	6860	87	
DEC-21	4200	53600	16616	1340	0	71556	0	7021	87	
JAN-22	4200	53600	16616	1340	0	71556	0	7021	87	
FEB-22	4200	53600	16616	1340	0	71556	0	7021	87	
योग	--	636800	154352	16080	0	807232	0	79110	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5896	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8040	8000			
अन्य आय										
महायोग		636800	154352	16080	0	828076	13100	79110	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
APR-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
MAY-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
JUNE-21	4200	53600	9112	1340	0	64052	0	6271	87	
JULY-21	4200	55200	9384	1340	0	65924	0	6458	87	
AUG-21	4200	55200	15456	1340	0	71996	0	7065	87	
SEPT-21	4200	55200	15456	1340	0	71996	0	7065	87	
OCT-21	4200	55200	15456	1340	0	71996	0	7065	87	
NOV-21	4200	55200	15456	1340	0	71996	0	7065	87	
DEC-21	4200	55200	17112	1340	0	73652	0	7231	87	
JAN-22	4200	55200	17112	1340	0	73652	0	7231	87	
FEB-22	4200	55200	17112	1340	0	73652	0	7231	87	
योग	--	656000	158992	16080	0	831072	0	81495	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6072	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8280	8200			
अन्य आय										
महायोग		656000	158992	16080	0	852332	13300	81495	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
APR-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
MAY-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
JUNE-21	4600	49000	8330	1840	0	59170	0	5733	87	
JULY-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
AUG-21	4600	50500	14140	1840	0	66480	0	6464	87	
SEPT-21	4600	50500	14140	1840	0	66480	0	6464	87	
OCT-21	4600	50500	14140	1840	0	66480	0	6464	87	
NOV-21	4600	50500	14140	1840	0	66480	0	6464	87	
DEC-21	4600	50500	15655	1840	0	67995	0	6615	87	
JAN-22	4600	50500	15655	1840	0	67995	0	6615	87	
FEB-22	4600	50500	15655	1840	0	67995	0	6615	87	
योग	--	600000	145430	22080	0	767510	0	74541	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5555	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7575	7500			
अन्य आय										
महायोग		600000	145430	22080	0	787548	12600	74541	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
APR-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
MAY-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
JUNE-21	4600	50500	8585	1840	0	60925	0	5908	87	
JULY-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
AUG-21	4600	52000	14560	1840	0	68400	0	6656	87	
SEPT-21	4600	52000	14560	1840	0	68400	0	6656	87	
OCT-21	4600	52000	14560	1840	0	68400	0	6656	87	
NOV-21	4600	52000	14560	1840	0	68400	0	6656	87	
DEC-21	4600	52000	16120	1840	0	69960	0	6812	87	
JAN-22	4600	52000	16120	1840	0	69960	0	6812	87	
FEB-22	4600	52000	16120	1840	0	69960	0	6812	87	
योग	--	618000	149780	22080	0	789860	0	76776	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5720	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						7800	7800			
अन्य आय										
महायोग		618000	149780	22080	0	810288	12900	76776	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
APR-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
MAY-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
JUNE-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	0	6084	87	
JULY-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
AUG-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	0	6860	87	
SEPT-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	0	6860	87	
OCT-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	0	6860	87	
NOV-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	0	6860	87	
DEC-21	4600	53600	16616	1840	0	72056	0	7021	87	
JAN-22	4600	53600	16616	1840	0	72056	0	7021	87	
FEB-22	4600	53600	16616	1840	0	72056	0	7021	87	
योग	--	636800	154352	22080	0	813232	0	79110	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5896	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8040	8000			
अन्य आय										
महायोग		636800	154352	22080	0	834076	13100	79110	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
APR-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
MAY-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
JUNE-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	0	6271	87	
JULY-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
AUG-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	0	7065	87	
SEPT-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	0	7065	87	
OCT-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	0	7065	87	
NOV-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	0	7065	87	
DEC-21	4600	55200	17112	1840	0	74152	0	7231	87	
JAN-22	4600	55200	17112	1840	0	74152	0	7231	87	
FEB-22	4600	55200	17112	1840	0	74152	0	7231	87	
योग	--	656000	158992	22080	0	837072	0	81495	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6072	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8280	8200			
अन्य आय										
महायोग		656000	158992	22080	0	858332	13300	81495	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
APR-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
MAY-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
JUNE-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	0	6458	87	
JULY-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
AUG-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	0	7283	87	
SEPT-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	0	7283	87	
OCT-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	0	7283	87	
NOV-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	0	7283	87	
DEC-21	4600	56900	17639	1840	0	76379	0	7453	87	
JAN-22	4600	56900	17639	1840	0	76379	0	7453	87	
FEB-22	4600	56900	17639	1840	0	76379	0	7453	87	
योग	--	676000	163854	22080	0	861934	0	83980	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6259	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8535	8500			
अन्य आय										
महायोग		676000	163854	22080	0	883636	13600	83980	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
APR-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
MAY-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
JUNE-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	0	6657	87	
JULY-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
AUG-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	0	7500	87	
SEPT-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	0	7500	87	
OCT-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	0	7500	87	
NOV-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	0	7500	87	
DEC-21	4600	58600	18166	1840	0	78606	0	7676	87	
JAN-22	4600	58600	18166	1840	0	78606	0	7676	87	
FEB-22	4600	58600	18166	1840	0	78606	0	7676	87	
योग	--	696400	168784	22080	0	887264	0	86512	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6446	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8790	8700			
अन्य आय										
महायोग		696400	168784	22080	0	909408	13800	86512	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
APR-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
MAY-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
JUNE-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	0	6856	87	
JULY-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	0	7066	87	
AUG-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	0	7731	87	
SEPT-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	0	7731	87	
OCT-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	0	7731	87	
NOV-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	0	7731	87	
DEC-21	4600	60400	18724	1840	0	80964	0	7912	87	
JAN-22	4600	60400	18724	1840	0	80964	0	7912	87	
FEB-22	4600	60400	18724	1840	0	80964	0	7912	87	
योग	--	717600	173936	22080	0	913616	0	89150	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6644	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9060	9000			
अन्य आय										
महायोग		717600	173936	22080	0	936228	14100	89150	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	0	6458	87	
APR-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	0	6458	87	
MAY-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	0	6458	87	
JUNE-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	0	6458	87	
JULY-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	0	6657	87	
AUG-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	0	7283	87	
SEPT-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	0	7283	87	
OCT-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	0	7283	87	
NOV-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	0	7283	87	
DEC-21	4800	56900	17639	1870	0	76409	0	7453	87	
JAN-22	4800	56900	17639	1870	0	76409	0	7453	87	
FEB-22	4800	56900	17639	1870	0	76409	0	7453	87	
योग	--	676000	163854	22440	0	862294	0	83980	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6259	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8535	8500			
अन्य आय										
महायोग		676000	163854	22440	0	883996	13600	83980	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	0	6657	87	
APR-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	0	6657	87	
MAY-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	0	6657	87	
JUNE-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	0	6657	87	
JULY-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	0	6856	87	
AUG-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	0	7500	87	
SEPT-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	0	7500	87	
OCT-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	0	7500	87	
NOV-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	0	7500	87	
DEC-21	4800	58600	18166	1870	0	78636	0	7676	87	
JAN-22	4800	58600	18166	1870	0	78636	0	7676	87	
FEB-22	4800	58600	18166	1870	0	78636	0	7676	87	
योग	--	696400	168784	22440	0	887624	0	86512	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6446	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8790	8700			
अन्य आय										
महायोग		696400	168784	22440	0	909768	13800	86512	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	0	6856	87	
APR-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	0	6856	87	
MAY-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	0	6856	87	
JUNE-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	0	6856	87	
JULY-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	0	7066	87	
AUG-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	0	7731	87	
SEPT-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	0	7731	87	
OCT-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	0	7731	87	
NOV-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	0	7731	87	
DEC-21	4800	60400	18724	1870	0	80994	0	7912	87	
JAN-22	4800	60400	18724	1870	0	80994	0	7912	87	
FEB-22	4800	60400	18724	1870	0	80994	0	7912	87	
योग	--	717600	173936	22440	0	913976	0	89150	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6644	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9060	9000			
अन्य आय										
महायोग		717600	173936	22440	0	936588	14100	89150	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	0	7066	87	
APR-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	0	7066	87	
MAY-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	0	7066	87	
JUNE-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	0	7066	87	
JULY-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	0	7277	87	
AUG-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	0	7961	87	
SEPT-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	0	7961	87	
OCT-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	0	7961	87	
NOV-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	0	7961	87	
DEC-21	4800	62200	19282	1870	0	83352	0	8148	87	
JAN-22	4800	62200	19282	1870	0	83352	0	8148	87	
FEB-22	4800	62200	19282	1870	0	83352	0	8148	87	
योग	--	739200	179156	22440	0	940796	0	91829	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6842	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9330	9300			
अन्य आय										
महायोग		739200	179156	22440	0	963876	14400	91829	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	0	7277	87	
APR-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	0	7277	87	
MAY-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	0	7277	87	
JUNE-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	0	7277	87	
JULY-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	0	7499	87	
AUG-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	0	8204	87	
SEPT-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	0	8204	87	
OCT-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	0	8204	87	
NOV-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	0	8204	87	
DEC-21	4800	64100	19871	1870	0	85841	0	8397	87	
JAN-22	4800	64100	19871	1870	0	85841	0	8397	87	
FEB-22	4800	64100	19871	1870	0	85841	0	8397	87	
योग	--	761600	184598	22440	0	968638	0	94614	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7051	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9615	9600			
अन्य आय										
महायोग		761600	184598	22440	0	992212	14700	94614	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	0	7499	87	
APR-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	0	7499	87	
MAY-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	0	7499	87	
JUNE-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	0	7499	87	
JULY-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	0	7722	87	
AUG-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	0	8448	87	
SEPT-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	0	8448	87	
OCT-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	0	8448	87	
NOV-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	0	8448	87	
DEC-21	4800	66000	20460	1870	0	88330	0	8646	87	
JAN-22	4800	66000	20460	1870	0	88330	0	8646	87	
FEB-22	4800	66000	20460	1870	0	88330	0	8646	87	
योग	--	784400	190108	22440	0	996948	0	97448	1044	
बोनस 2020-21						6908	5100			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7260	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9900	9900			
अन्य आय										
महायोग		784400	190108	22440	0	1021016	15000	97448	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -							पद -				
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -							पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती	
MAR-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87		
APR-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87		
MAY-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87		
JUNE-21	4600	52000	8840	1840	0	62680	5200	0	87		
JULY-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87		
AUG-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	5360	0	87		
SEPT-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	5360	0	87		
OCT-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	5360	0	87		
NOV-21	4600	53600	15008	1840	0	70448	5360	0	87		
DEC-21	4600	53600	16616	1840	0	72056	5360	0	87		
JAN-22	4600	53600	16616	1840	0	72056	5360	0	87		
FEB-22	4600	53600	16616	1840	0	72056	5360	0	87		
योग	--	636800	154352	22080	0	813232	63680	0	1044		
बोनस 2020-21							6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%							5896	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%							8040	8040			
अन्य आय											
महायोग		636800	154352	22080	0	834076	76901	0	1044		

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)			
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))			
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना			
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य			
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%			
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%			
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%			
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)			
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर			
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			
		3. कर योग्य आय	
		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
		1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
		4. शिक्षा उपकर 4%	
		5. कुल देय आयकर	
		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
APR-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
MAY-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
JUNE-21	4600	53600	9112	1840	0	64552	5360	0	87	
JULY-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
AUG-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	5520	0	87	
SEPT-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	5520	0	87	
OCT-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	5520	0	87	
NOV-21	4600	55200	15456	1840	0	72496	5520	0	87	
DEC-21	4600	55200	17112	1840	0	74152	5520	0	87	
JAN-22	4600	55200	17112	1840	0	74152	5520	0	87	
FEB-22	4600	55200	17112	1840	0	74152	5520	0	87	
योग	--	656000	158992	22080	0	837072	65600	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6072	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8280	8280			
अन्य आय										
महायोग		656000	158992	22080	0	858332	79061	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
(ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
APR-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
MAY-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
JUNE-21	4600	55200	9384	1840	0	66424	5520	0	87	
JULY-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
AUG-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	5690	0	87	
SEPT-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	5690	0	87	
OCT-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	5690	0	87	
NOV-21	4600	56900	15932	1840	0	74672	5690	0	87	
DEC-21	4600	56900	17639	1840	0	76379	5690	0	87	
JAN-22	4600	56900	17639	1840	0	76379	5690	0	87	
FEB-22	4600	56900	17639	1840	0	76379	5690	0	87	
योग	--	676000	163854	22080	0	861934	676000	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6259	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8535	8535			
अन्य आय										
महायोग		676000	163854	22080	0	883636	81316	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
APR-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
MAY-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
JUNE-21	4600	56900	9673	1840	0	68413	5690	0	87	
JULY-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
AUG-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	5860	0	87	
SEPT-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	5860	0	87	
OCT-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	5860	0	87	
NOV-21	4600	58600	16408	1840	0	76848	5860	0	87	
DEC-21	4600	58600	18166	1840	0	78606	5860	0	87	
JAN-22	4600	58600	18166	1840	0	78606	5860	0	87	
FEB-22	4600	58600	18166	1840	0	78606	5860	0	87	
योग	--	696400	168784	22080	0	887264	69640	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6446	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8790	8790			
अन्य आय										
महायोग		696400	168784	22080	0	909408	83611	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)			
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))			
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना			
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य			
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%			
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%			
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%			
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)			
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर			
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			
		3. कर योग्य आय	
		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
		1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
		4. शिक्षा उपकर 4%	
		5. कुल देय आयकर	
		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
APR-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
MAY-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
JUNE-21	4600	58600	9962	1840	0	70402	5860	0	87	
JULY-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
AUG-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	6040	0	87	
SEPT-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	6040	0	87	
OCT-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	6040	0	87	
NOV-21	4600	60400	16912	1840	0	79152	6040	0	87	
DEC-21	4600	60400	18724	1840	0	80964	6040	0	87	
JAN-22	4600	60400	18724	1840	0	80964	6040	0	87	
FEB-22	4600	60400	18724	1840	0	80964	6040	0	87	
योग	--	717600	173936	22080	0	913616	71760	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6644	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9060	9060			
अन्य आय										
महायोग		717600	173936	22080	0	936228	86001	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)			
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))			
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना			
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य			
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%			
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%			
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%			
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)			
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर			
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			
		3. कर योग्य आय	
		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
		1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
		4. शिक्षा उपकर 4%	
		5. कुल देय आयकर	
		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
APR-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
MAY-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
JUNE-21	4600	60400	10268	1840	0	72508	6040	0	87	
JULY-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87	
AUG-21	4600	62200	17416	1840	0	81456	6220	0	87	
SEPT-21	4600	62200	17416	1840	0	81456	6220	0	87	
OCT-21	4600	62200	17416	1840	0	81456	6220	0	87	
NOV-21	4600	62200	17416	1840	0	81456	6220	0	87	
DEC-21	4600	62200	19282	1840	0	83322	6220	0	87	
JAN-22	4600	62200	19282	1840	0	83322	6220	0	87	
FEB-22	4600	62200	19282	1840	0	83322	6220	0	87	
योग	--	739200	179156	22080	0	940436	73920	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6842	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9330	9330			
अन्य आय										
महायोग		739200	179156	22080	0	963516	88431	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -				
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -							पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती	
MAR-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87		
APR-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87		
MAY-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87		
JUNE-21	4600	62200	10574	1840	0	74614	6220	0	87		
JULY-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87		
AUG-21	4600	64100	17948	1840	0	83888	6410	0	87		
SEPT-21	4600	64100	17948	1840	0	83888	6410	0	87		
OCT-21	4600	64100	17948	1840	0	83888	6410	0	87		
NOV-21	4600	64100	17948	1840	0	83888	6410	0	87		
DEC-21	4600	64100	19871	1840	0	85811	6410	0	87		
JAN-22	4600	64100	19871	1840	0	85811	6410	0	87		
FEB-22	4600	64100	19871	1840	0	85811	6410	0	87		
योग	--	761600	184598	22080	0	968278	76160	0	1044		
बोनस 2020-21						6908	5181				
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7051	0				
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9615	9615				
अन्य आय											
महायोग		761600	184598	22080	0	991852	90956	0	1044		

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)			
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))			
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना			
1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य			
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%			
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%			
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%			
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)			
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर			
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			
		3. कर योग्य आय	
		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
		1. (क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
		4. शिक्षा उपकर 4%	
		5. कुल देय आयकर	
		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
APR-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
MAY-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
JUNE-21	4600	64100	10897	1840	0	76837	6410	0	87	
JULY-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
AUG-21	4600	66000	18480	1840	0	86320	6600	0	87	
SEPT-21	4600	66000	18480	1840	0	86320	6600	0	87	
OCT-21	4600	66000	18480	1840	0	86320	6600	0	87	
NOV-21	4600	66000	18480	1840	0	86320	6600	0	87	
DEC-21	4600	66000	20460	1840	0	88300	6600	0	87	
JAN-22	4600	66000	20460	1840	0	88300	6600	0	87	
FEB-22	4600	66000	20460	1840	0	88300	6600	0	87	
योग	--	784400	190108	22080	0	996588	78440	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7260	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9900	9900			
अन्य आय										
महायोग		784400	190108	22080	0	1020656	93521	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
APR-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
MAY-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
JUNE-21	4600	66000	11220	1840	0	79060	6600	0	87	
JULY-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
AUG-21	4600	68000	19040	1840	0	88880	6800	0	87	
SEPT-21	4600	68000	19040	1840	0	88880	6800	0	87	
OCT-21	4600	68000	19040	1840	0	88880	6800	0	87	
NOV-21	4600	68000	19040	1840	0	88880	6800	0	87	
DEC-21	4600	68000	21080	1840	0	90920	6800	0	87	
JAN-22	4600	68000	21080	1840	0	90920	6800	0	87	
FEB-22	4600	68000	21080	1840	0	90920	6800	0	87	
योग	--	808000	195840	22080	0	1025920	80800	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7480	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10200	10200			
अन्य आय										
महायोग		808000	195840	22080	0	1050508	96181	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
APR-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
MAY-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
JUNE-21	4600	68000	11560	1840	0	81400	6800	0	87	
JULY-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
AUG-21	4600	70000	19600	1840	0	91440	7000	0	87	
SEPT-21	4600	70000	19600	1840	0	91440	7000	0	87	
OCT-21	4600	70000	19600	1840	0	91440	7000	0	87	
NOV-21	4600	70000	19600	1840	0	91440	7000	0	87	
DEC-21	4600	70000	21700	1840	0	93540	7000	0	87	
JAN-22	4600	70000	21700	1840	0	93540	7000	0	87	
FEB-22	4600	70000	21700	1840	0	93540	7000	0	87	
योग	--	832000	201640	22080	0	1055720	83200	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7700	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10500	10500			
अन्य आय										
महायोग		832000	201640	22080	0	1080828	98881	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
APR-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
MAY-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
JUNE-21	4600	70000	11900	1840	0	83740	7000	0	87	
JULY-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
AUG-21	4600	72100	20188	1840	0	94128	7210	0	87	
SEPT-21	4600	72100	20188	1840	0	94128	7210	0	87	
OCT-21	4600	72100	20188	1840	0	94128	7210	0	87	
NOV-21	4600	72100	20188	1840	0	94128	7210	0	87	
DEC-21	4600	72100	22351	1840	0	96291	7210	0	87	
JAN-22	4600	72100	22351	1840	0	96291	7210	0	87	
FEB-22	4600	72100	22351	1840	0	96291	7210	0	87	
योग	--	856800	207662	22080	0	1086542	85680	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7931	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10815	10815			
अन्य आय										
महायोग		856800	207662	22080	0	1112196	101676	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
APR-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
MAY-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
JUNE-21	4600	72100	12257	1840	0	86197	7210	0	87	
JULY-21	4600	74300	12631	1840	0	88771	7430	0	87	
AUG-21	4600	74300	20804	1840	0	96944	7430	0	87	
SEPT-21	4600	74300	20804	1840	0	96944	7430	0	87	
OCT-21	4600	74300	20804	1840	0	96944	7430	0	87	
NOV-21	4600	74300	20804	1840	0	96944	7430	0	87	
DEC-21	4600	74300	23033	1840	0	99173	7430	0	87	
JAN-22	4600	74300	23033	1840	0	99173	7430	0	87	
FEB-22	4600	74300	23033	1840	0	99173	7430	0	87	
योग	--	882800	213974	22080	0	1118854	88280	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8173	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11145	11145			
अन्य आय										
महायोग		882800	213974	22080	0	1145080	104606	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4600	74300	12631	1840	0	88771	7430	0	87	
APR-21	4600	74300	12631	1840	0	88771	7430	0	87	
MAY-21	4600	74300	12631	1840	0	88771	7430	0	87	
JUNE-21	4600	74300	12631	1840	0	88771	7430	0	87	
JULY-21	4600	76500	13005	1840	0	91345	7650	0	87	
AUG-21	4600	76500	21420	1840	0	99760	7650	0	87	
SEPT-21	4600	76500	21420	1840	0	99760	7650	0	87	
OCT-21	4600	76500	21420	1840	0	99760	7650	0	87	
NOV-21	4600	76500	21420	1840	0	99760	7650	0	87	
DEC-21	4600	76500	23715	1840	0	102055	7650	0	87	
JAN-22	4600	76500	23715	1840	0	102055	7650	0	87	
FEB-22	4600	76500	23715	1840	0	102055	7650	0	87	
योग	--	909200	220354	22080	0	1151634	90920	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8415	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11475	11475			
अन्य आय										
महायोग		909200	220354	22080	0	1178432	107576	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
APR-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
MAY-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JUNE-21	4800	52000	8840	1870	0	62710	5200	0	87	
JULY-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87	
AUG-21	4800	53600	15008	1870	0	70478	5360	0	87	
SEPT-21	4800	53600	15008	1870	0	70478	5360	0	87	
OCT-21	4800	53600	15008	1870	0	70478	5360	0	87	
NOV-21	4800	53600	15008	1870	0	70478	5360	0	87	
DEC-21	4800	53600	16616	1870	0	72086	5360	0	87	
JAN-22	4800	53600	16616	1870	0	72086	5360	0	87	
FEB-22	4800	53600	16616	1870	0	72086	5360	0	87	
योग	--	636800	154352	22440	0	813592	63680	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						5896	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8040	8040			
अन्य आय										
महायोग		636800	154352	22440	0	834436	76901	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -							पद -				
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -							पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती	
MAR-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87		
APR-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87		
MAY-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87		
JUNE-21	4800	53600	9112	1870	0	64582	5360	0	87		
JULY-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87		
AUG-21	4800	55200	15456	1870	0	72526	5520	0	87		
SEPT-21	4800	55200	15456	1870	0	72526	5520	0	87		
OCT-21	4800	55200	15456	1870	0	72526	5520	0	87		
NOV-21	4800	55200	15456	1870	0	72526	5520	0	87		
DEC-21	4800	55200	17112	1870	0	74182	5520	0	87		
JAN-22	4800	55200	17112	1870	0	74182	5520	0	87		
FEB-22	4800	55200	17112	1870	0	74182	5520	0	87		
योग	--	656000	158992	22440	0	837432	65600	0	1044		
बोनस 2020-21							6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%							6072	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%							8280	8280			
अन्य आय											
महायोग		656000	158992	22440	0	858692	79061	0	1044		

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
APR-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
MAY-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
JUNE-21	4800	55200	9384	1870	0	66454	5520	0	87	
JULY-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
AUG-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	5690	0	87	
SEPT-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	5690	0	87	
OCT-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	5690	0	87	
NOV-21	4800	56900	15932	1870	0	74702	5690	0	87	
DEC-21	4800	56900	17639	1870	0	76409	5690	0	87	
JAN-22	4800	56900	17639	1870	0	76409	5690	0	87	
FEB-22	4800	56900	17639	1870	0	76409	5690	0	87	
योग	--	676000	163854	22440	0	862294	67600	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6259	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8535	8535			
अन्य आय										
महायोग		676000	163854	22440	0	883996	81316	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो			
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)			
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))			
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना			
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य			
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%			
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%			
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%			
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)			
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर			
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			
		3. कर योग्य आय	
		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
		4. शिक्षा उपकर 4%	
		5. कुल देय आयकर	
		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
APR-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
MAY-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
JUNE-21	4800	56900	9673	1870	0	68443	5690	0	87	
JULY-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
AUG-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	5860	0	87	
SEPT-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	5860	0	87	
OCT-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	5860	0	87	
NOV-21	4800	58600	16408	1870	0	76878	5860	0	87	
DEC-21	4800	58600	18166	1870	0	78636	5860	0	87	
JAN-22	4800	58600	18166	1870	0	78636	5860	0	87	
FEB-22	4800	58600	18166	1870	0	78636	5860	0	87	
योग	--	696400	168784	22440	0	887624	69640	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6446	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						8790	8790			
अन्य आय										
महायोग		696400	168784	22440	0	909768	83611	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
APR-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
MAY-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
JUNE-21	4800	58600	9962	1870	0	70432	5860	0	87	
JULY-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
AUG-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	6040	0	87	
SEPT-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	6040	0	87	
OCT-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	6040	0	87	
NOV-21	4800	60400	16912	1870	0	79182	6040	0	87	
DEC-21	4800	60400	18724	1870	0	80994	6040	0	87	
JAN-22	4800	60400	18724	1870	0	80994	6040	0	87	
FEB-22	4800	60400	18724	1870	0	80994	6040	0	87	
योग	--	717600	173936	22440	0	913976	71760	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6644	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9060	9060			
अन्य आय										
महायोग		717600	173936	22440	0	936588	86001	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
APR-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
MAY-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
JUNE-21	4800	60400	10268	1870	0	72538	6040	0	87	
JULY-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
AUG-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	6220	0	87	
SEPT-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	6220	0	87	
OCT-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	6220	0	87	
NOV-21	4800	62200	17416	1870	0	81486	6220	0	87	
DEC-21	4800	62200	19282	1870	0	83352	6220	0	87	
JAN-22	4800	62200	19282	1870	0	83352	6220	0	87	
FEB-22	4800	62200	19282	1870	0	83352	6220	0	87	
योग	--	739200	179156	22440	0	940796	73920	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						6842	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9330	9330			
अन्य आय										
महायोग		739200	179156	22440	0	963876	88431	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
APR-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
MAY-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
JUNE-21	4800	62200	10574	1870	0	74644	6220	0	87	
JULY-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
AUG-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	6410	0	87	
SEPT-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	6410	0	87	
OCT-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	6410	0	87	
NOV-21	4800	64100	17948	1870	0	83918	6410	0	87	
DEC-21	4800	64100	19871	1870	0	85841	6410	0	87	
JAN-22	4800	64100	19871	1870	0	85841	6410	0	87	
FEB-22	4800	64100	19871	1870	0	85841	6410	0	87	
योग	--	761600	184598	22440	0	968638	76160	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7051	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9615	9615			
अन्य आय										
महायोग		761600	184598	22440	0	992212	90956	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
APR-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
MAY-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
JUNE-21	4800	64100	10897	1870	0	76867	6410	0	87	
JULY-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
AUG-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	6600	0	87	
SEPT-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	6600	0	87	
OCT-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	6600	0	87	
NOV-21	4800	66000	18480	1870	0	86350	6600	0	87	
DEC-21	4800	66000	20460	1870	0	88330	6600	0	87	
JAN-22	4800	66000	20460	1870	0	88330	6600	0	87	
FEB-22	4800	66000	20460	1870	0	88330	6600	0	87	
योग	--	784400	190108	22440	0	996948	78440	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7260	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						9900	9900			
अन्य आय										
महायोग		784400	190108	22440	0	1021016	93521	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)			
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)			
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-			
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक			
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)			
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)			
योग (8 से 13 तक)		3. कर योग्य आय	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
4. शिक्षा उपकर 4%		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
5. कुल देय आयकर		4. शिक्षा उपकर 4%	
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट		5. कुल देय आयकर	
7. स्रोत पर कर कटौती		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर		7. स्रोत पर कर कटौती	
		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -							पद -			
पिता/पति का नाम - श्री							जन्मतिथि -			
विद्यालय का नाम -							वि०क्षेत्र -			
स्थायी पता -							पैन नं० -			
वेतन खाता सं० -							बैंक का नाम -			
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
APR-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
MAY-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
JUNE-21	4800	66000	11220	1870	0	79090	6600	0	87	
JULY-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
AUG-21	4800	68000	19040	1870	0	88910	6800	0	87	
SEPT-21	4800	68000	19040	1870	0	88910	6800	0	87	
OCT-21	4800	68000	19040	1870	0	88910	6800	0	87	
NOV-21	4800	68000	19040	1870	0	88910	6800	0	87	
DEC-21	4800	68000	21080	1870	0	90950	6800	0	87	
JAN-22	4800	68000	21080	1870	0	90950	6800	0	87	
FEB-22	4800	68000	21080	1870	0	90950	6800	0	87	
योग	--	808000	195840	22440	0	1026280	80800	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7480	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10200	10200			
अन्य आय										
महायोग		808000	195840	22440	0	1050868	96181	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट (₹12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
APR-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
MAY-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
JUNE-21	4800	68000	11560	1870	0	81430	6800	0	87	
JULY-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
AUG-21	4800	70000	19600	1870	0	91470	7000	0	87	
SEPT-21	4800	70000	19600	1870	0	91470	7000	0	87	
OCT-21	4800	70000	19600	1870	0	91470	7000	0	87	
NOV-21	4800	70000	19600	1870	0	91470	7000	0	87	
DEC-21	4800	70000	21700	1870	0	93570	7000	0	87	
JAN-22	4800	70000	21700	1870	0	93570	7000	0	87	
FEB-22	4800	70000	21700	1870	0	93570	7000	0	87	
योग	--	832000	201640	22440	0	1056080	83200	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7700	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10500	10500			
अन्य आय										
महायोग		832000	201640	22440	0	1081188	98881	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
APR-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
MAY-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
JUNE-21	4800	70000	11900	1870	0	83770	7000	0	87	
JULY-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
AUG-21	4800	72100	20188	1870	0	94158	7210	0	87	
SEPT-21	4800	72100	20188	1870	0	94158	7210	0	87	
OCT-21	4800	72100	20188	1870	0	94158	7210	0	87	
NOV-21	4800	72100	20188	1870	0	94158	7210	0	87	
DEC-21	4800	72100	22351	1870	0	96321	7210	0	87	
JAN-22	4800	72100	22351	1870	0	96321	7210	0	87	
FEB-22	4800	72100	22351	1870	0	96321	7210	0	87	
योग	--	856800	207662	22440	0	1086902	85680	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						7931	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						10815	10815			
अन्य आय										
महायोग		856800	207662	22440	0	1112556	101676	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
APR-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
MAY-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
JUNE-21	4800	72100	12257	1870	0	86227	7210	0	87	
JULY-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
AUG-21	4800	74300	20804	1870	0	96974	7430	0	87	
SEPT-21	4800	74300	20804	1870	0	96974	7430	0	87	
OCT-21	4800	74300	20804	1870	0	96974	7430	0	87	
NOV-21	4800	74300	20804	1870	0	96974	7430	0	87	
DEC-21	4800	74300	23033	1870	0	99203	7430	0	87	
JAN-22	4800	74300	23033	1870	0	99203	7430	0	87	
FEB-22	4800	74300	23033	1870	0	99203	7430	0	87	
योग	--	882800	213974	22440	0	1119214	88280	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8173	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11145	11145			
अन्य आय										
महायोग		882800	213974	22440	0	1145440	104606	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
APR-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
MAY-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
JUNE-21	4800	74300	12631	1870	0	88801	7430	0	87	
JULY-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
AUG-21	4800	76500	21420	1870	0	99790	7650	0	87	
SEPT-21	4800	76500	21420	1870	0	99790	7650	0	87	
OCT-21	4800	76500	21420	1870	0	99790	7650	0	87	
NOV-21	4800	76500	21420	1870	0	99790	7650	0	87	
DEC-21	4800	76500	23715	1870	0	102085	7650	0	87	
JAN-22	4800	76500	23715	1870	0	102085	7650	0	87	
FEB-22	4800	76500	23715	1870	0	102085	7650	0	87	
योग	--	909200	220354	22440	0	1151994	90920	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8415	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11475	11475			
अन्य आय										
महायोग		909200	220354	22440	0	1178792	107576	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
APR-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
MAY-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
JUNE-21	4800	76500	13005	1870	0	91375	7650	0	87	
JULY-21	4800	78800	13396	1870	0	94066	7880	0	87	
AUG-21	4800	78800	22064	1870	0	102734	7880	0	87	
SEPT-21	4800	78800	22064	1870	0	102734	7880	0	87	
OCT-21	4800	78800	22064	1870	0	102734	7880	0	87	
NOV-21	4800	78800	22064	1870	0	102734	7880	0	87	
DEC-21	4800	78800	24428	1870	0	105098	7880	0	87	
JAN-22	4800	78800	24428	1870	0	105098	7880	0	87	
FEB-22	4800	78800	24428	1870	0	105098	7880	0	87	
योग	--	936400	226956	22440	0	1185796	93640	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8668	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11820	11820			
अन्य आय										
महायोग		936400	226956	22440	0	1213192	110641	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
APR-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
MAY-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
JUNE-21	5400	71300	12121	2100	0	85521	7130	0	87	
JULY-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
AUG-21	5400	73400	20552	2100	0	96052	7340	0	87	
SEPT-21	5400	73400	20552	2100	0	96052	7340	0	87	
OCT-21	5400	73400	20552	2100	0	96052	7340	0	87	
NOV-21	5400	73400	20552	2100	0	96052	7340	0	87	
DEC-21	5400	73400	22754	2100	0	98254	7340	0	87	
JAN-22	5400	73400	22754	2100	0	98254	7340	0	87	
FEB-22	5400	73400	22754	2100	0	98254	7340	0	87	
योग	--	872400	211432	25200	0	1109032	87240	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8074	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11010	11010			
अन्य आय										
महायोग		872400	211432	25200	0	1135024	103431	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद -				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
APR-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
MAY-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
JUNE-21	5400	73400	12478	2100	0	87978	7340	0	87	
JULY-21	5400	75600	12852	2100	0	90552	7560	0	87	
AUG-21	5400	75600	21168	2100	0	98868	7560	0	87	
SEPT-21	5400	75600	21168	2100	0	98868	7560	0	87	
OCT-21	5400	75600	21168	2100	0	98868	7560	0	87	
NOV-21	5400	75600	21168	2100	0	98868	7560	0	87	
DEC-21	5400	75600	23436	2100	0	101136	7560	0	87	
JAN-22	5400	75600	23436	2100	0	101136	7560	0	87	
FEB-22	5400	75600	23436	2100	0	101136	7560	0	87	
योग	--	898400	217744	25200	0	1141344	89840	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8316	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						11340	11340			
अन्य आय										
महायोग		898400	217744	25200	0	1167908	106361	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
APR-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
MAY-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
JUNE-21	5400	77900	13243	2100	0	93243	7790	0	87	
JULY-21	5400	80200	13634	2100	0	95934	8020	0	87	
AUG-21	5400	80200	22456	2100	0	104756	8020	0	87	
SEPT-21	5400	80200	22456	2100	0	104756	8020	0	87	
OCT-21	5400	80200	22456	2100	0	104756	8020	0	87	
NOV-21	5400	80200	22456	2100	0	104756	8020	0	87	
DEC-21	5400	80200	24862	2100	0	107162	8020	0	87	
JAN-22	5400	80200	24862	2100	0	107162	8020	0	87	
FEB-22	5400	80200	24862	2100	0	107162	8020	0	87	
योग	--	953200	231016	25200	0	1209416	95320	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						8822	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						12030	12030			
अन्य आय										
महायोग		953200	231016	25200	0	1237176	112531	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	5400	80200	13634	2100	0	95934	8020	0	87	
APR-21	5400	80200	13634	2100	0	95934	8020	0	87	
MAY-21	5400	80200	13634	2100	0	95934	8020	0	87	
JUNE-21	5400	80200	13634	2100	0	95934	8020	0	87	
JULY-21	5400	82600	14042	2100	0	98742	8260	0	87	
AUG-21	5400	82600	23128	2100	0	107828	8260	0	87	
SEPT-21	5400	82600	23128	2100	0	107828	8260	0	87	
OCT-21	5400	82600	23128	2100	0	107828	8260	0	87	
NOV-21	5400	82600	23128	2100	0	107828	8260	0	87	
DEC-21	5400	82600	25606	2100	0	110306	8260	0	87	
JAN-22	5400	82600	25606	2100	0	110306	8260	0	87	
FEB-22	5400	82600	25606	2100	0	110306	8260	0	87	
योग	--	981600	237908	25200	0	1244708	98160	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						9086	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						12390	12390			
अन्य आय										
महायोग		981600	237908	25200	0	1273092	115731	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, स०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत (₹ 12500) छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			

आयकर विवरणी वर्ष 2021-22

निर्धारण वर्ष (Assessment Year) : 2022-23

नाम -						पद-				
पिता/पति का नाम - श्री						जन्मतिथि -				
विद्यालय का नाम -						वि०क्षेत्र -				
स्थायी पता -						पैन नं० -				
वेतन खाता सं० -						बैंक का नाम -				
माह	ग्रेड पे	मूल वेतन	मंहगाई	मकान भत्ता	अन्य भत्ता	योग	GPF/PPF	NPS	GI	आयकर कटौती
MAR-21	5400	82600	14042	2100	0	98742	8260	0	87	
APR-21	5400	82600	14042	2100	0	98742	8260	0	87	
MAY-21	5400	82600	14042	2100	0	98742	8260	0	87	
JUNE-21	5400	82600	14042	2100	0	98742	8260	0	87	
JULY-21	5400	85100	14467	2100	0	101667	8510	0	87	
AUG-21	5400	85100	23828	2100	0	111028	8510	0	87	
SEPT-21	5400	85100	23828	2100	0	111028	8510	0	87	
OCT-21	5400	85100	23828	2100	0	111028	8510	0	87	
NOV-21	5400	85100	23828	2100	0	111028	8510	0	87	
DEC-21	5400	85100	26381	2100	0	113581	8510	0	87	
JAN-22	5400	85100	26381	2100	0	113581	8510	0	87	
FEB-22	5400	85100	26381	2100	0	113581	8510	0	87	
योग	--	1011200	245090	25200	0	1281490	101120	0	1044	
बोनस 2020-21						6908	5181			
मंहगाई अवशेष 17% से 28%						9361	0			
मंहगाई अवशेष 28% से 31%						12765	12765			
अन्य आय										
महायोग		1011200	245090	25200	0	1310524	119066	0	1044	

हस्ताक्षर-

नाम-

ehrms code-

विद्यालय-

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास क्षेत्र -

अनुराग कुमार तिवारी, सं०शि०, प्रा०वि० कुशल का डेरा,
वि०क्ष०-देओमई, फतेहपुर, मो० 9839792531

समस्त शिक्षक पुरानी अथवा नई कर व्यवस्था में से किसी एक के अन्तर्गत अपने कर की गणना करें।

Old Tax Regime		New Tax Regime	
1. कुल सकल आय		1. कुल सकल आय	
2. (क) कुल भुगतान किया गया किराया (ख) किराया/कुल प्राप्त मकान भत्ता जो कम हो		2. Old Tax Regime के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की छूट	0
3. मानक कटौती (₹ 50000)			
4. शेष सकल आय घटायें (1-2ख-3)			
5. गृह ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान			
6. शेष सकल आय (4-5)			
7. घटायें छूट (धारा 80 सी के अन्तर्गत)			
(1) GPF/PPF			
(2) NPS			
(3) सामूहिक बीमा			
(4) व्यक्तिगत बीमा			
(5) गृह ऋण का पुनर्भुगतान			
(6) टयुशन फीस			
(7) इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			
(8) अन्य जो धारा 80 के अन्तर्गत हों			
योग			
8. धारा 80 सीसीडी (NPS अधिकतम 50000)		3. कर योग्य आय	
9. धारा 80 डी चिकित्सीय बीमा (अधिकतम 25,000/-)		4. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना	
10. धारा 80 डी विकलांग व्यक्ति पर खर्च 75,000/-		1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य	
11. धारा 80 डीडीवी लम्बी बीमारी, ₹ 40,000/- तक		(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%	
12. धारा 80 जे (अन्धे/विकलांग व्यक्ति पर 50,000 तक)		(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 7,50,000 तक 10%	
13. धारा 80 जी (प्रधानमंत्री राहत आपदा आदि)		(घ) ₹ 7,50,000 से ₹ 10,00,000 तक 15%	
योग (8 से 13 तक)		(ग) ₹ 10,00,000 से ₹ 12,50,000 तक 20%	
14. कर योग्य आय (6-(80सी+8 से 13))		(घ) ₹ 12,50,000 से ₹ 15,00,000 तक 25%	
15. ₹ 10 के गुणांक में आयकर गणना		2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)	
1.(क) ₹ 2,50,000 तक शून्य		3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट	0
(ख) ₹ 2,50,000 से ₹ 5,00,000 तक 5%		4. शिक्षा उपकर 4%	
(ग) ₹ 5,00,000 से ₹ 10,00,000 तक 20%		5. कुल देय आयकर	
(घ) ₹ 10,00,000 से अधिक 30%		6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट	
2. कुल आयकर (₹ 10/- के गुणांक में)		7. स्रोत पर कर कटौती	
3. धारा 87ए अन्तर्गत छूट के बाद आयकर		8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर	
4. शिक्षा उपकर 4%			
5. कुल देय आयकर			
6. धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट			
7. स्रोत पर कर कटौती			
8. शुद्ध देय/प्रतिदेय आयकर			